फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

जम्बो फिनवेस्ट(इण्डिया) लिमिटेड, रजिस्टर्ड पता 102 कंचन अपार्टमेंट एलबीएस कालेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर – 302004 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिंह। **– प्रार्थी**

बनाम

1. गुंजन कुमार पालीवाल पुत्र श्री घनश्याम लाल पालीवाल, पता :– राधिका फ्लोर कालका माता रोड, पेयडा, गिर्वा, जिला उदयपुर – 313001, राज.।
2. घनश्याम पालीवाल पुत्र श्री विरधी शंकर पता :– ब्रम्हपुरी, खमनोर, जिला – राजसमन्द(राज.) 313322 **(सहऋणी / बंधककर्ता)**
3. राधा बाई पत्नी श्री घनश्याम पालीवाल पता :– ब्रम्हपुरी, खमनोर, जिला– राजसमन्द (राज.) 313322 **(सहऋणी)**
4. जितेन्द्र पालीवाल पुत्र श्री भगवती लाल पताः– 8, वार्ड नं0 36, सोमेश्वर मन्दिर के पास, भटटीयानी चोहट्टा, गिर्वा, उदयपुर – 313001, राज.

–अप्रार्थीगण / ऋणी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 31 / 2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 03.11.2020 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर ने दिनांकः 09.10.2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी कम्पनी को भारत के राजपत्र मे दिनांक 24.10.2018 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उप धारा (1) के खण्ड (ड) के उप खंड (4) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शामिल किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्थान से ऋण के लिए आवेदन करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये ऋण अनुबन्ध संख्या 65513 दिनांकित 31.07.2017 के जरिये विपक्षीगण को कुल 6,00,000 /– रूपये शब्देन छः लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। उक्त ऋण की अदायगी नियमित किश्तों में करनी थी। अप्रार्थी संख्या	

न्यायालय जिला कलक्टर

2 ने ऋण मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप अपनी अचल सम्पत्तियों को प्रार्थी के पास रहन किया और उस पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। जिसमें ग्राम खमनोर, त0 नाथद्वारा, जिला राजसमन्द, राजस्थान पर स्थित है, माप लगभग 993.02 वर्ग फीट है। जिसकी चतुर्सीमाए निम्न प्रकार से हैं :— पूर्व में गेहरी लाल एवं कैलाश का मकान, पश्चिम में दलीचन्द का मकान एवं आम रास्ता, उत्तर में गोवर्धन लाल का बाडा एवं मकान, दक्षिण में हीरा लाल का मकान एवं चौक है।

अप्रार्थीगण नियमित रूप प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नही कर सकें और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर उक्त ऋण खाते को अक्रियान्वित आस्ति (Non Performing Asset) में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि 5,45,165/— रूपये (शब्देन पांच लाख पेतालीस हजार एक सौ पैसठ मात्र) दिनांक 22.10.2019 तक शेष देय है व दिनांक 23.10.2019 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

प्रार्थी द्वारा उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांकित 31.10.2019 अप्रार्थीगण को प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी उन्हें देय राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं किया। प्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस अन्तर्गत धारा 13(2) की सूचना समाचार पत्र पंजाब केसरी एवं इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 09.01.2020 को प्रकाशित करवाई। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नही किया।

उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गये। उक्त नोटिस के तामिल के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया तथा ना ही उक्त नोटिस की तामील के उपरान्त अप्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति नही ली गई। प्रार्थी कम्पनी द्वारा सिक्युटराईजेशन एक्ट के अनुसार समस्त कार्यवाही विधिनुसार की गई है तथा उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 31.10.2019 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी

न्यायालय जिला कलक्टर

रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार है :– ग्राम खमनोर, त0 नाथद्वारा, जिला राजसमन्द, राजस्थान पर स्थित है, माप लगभग 993.02 वर्ग फीट है। जिसकी चतुर्सीमाए निम्न प्रकार से हैं :– पूर्व में गेहरी लाल एवं कैलाश का मकान, पश्चिम में दलीचन्द का मकान एवं आम रास्ता, उत्तर में गोवर्धन लाल का बाडा एवं मकान, दक्षिण में हीरा लाल का मकान एवं चौक है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)